

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अकादमी/शोध/2022/ 3593

दिनांक : 13/07/20

प्रति,


//सूचना//

समस्त शोध मार्गदर्शक,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर से संबंधित।

विषय:- यू.जी.सी. रेग्यूलेशन का पालन करने बावत।


महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रायः देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय आर.ए.सी. द्वारा शोध छात्रों को उपलब्ध कराये गये मान्य शोध मार्गदर्शक द्वारा शोध कार्य कराने से इन्कार कर देते हैं, यह स्थिति स्वीकार नहीं है क्योंकि इस मानसिकता के वजह से जहाँ एक ओर पीएच.डी. यू.जी.सी. रेग्यूलेशन 2018 के प्रावधानों का उलंघन होता है, वही दूसरी ओर विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल होती है, यदि किसी विशेष में संबंधित छात्र को पीएच.डी. नहीं कराना चाहते हैं तो तद-बावत स्पष्ट कारण का उल्लेख करने का कष्ट करें।


कुलसचिव

तिलिपि:-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप./सहा.-कुलसचिव, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. श्री संजय बरथरिया, की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को तत्काल विश्वविद्यालय की बैवसाइट पर अपलोड करे।


सहा.-कुलसचिव (अकादमी)